समाचार-प्रकाषनार्थ:-

स्वच्छ और स्वस्थ रहे रतलामए हर जगह हो नारी का सम्मान

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर की नारी शक्ति ने मैराथन दौड़ में

हिस्सा लेकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया।

रतलाम 20 जनवरी । शहर का कोना-कोना साफ सुधरा और गंदगी से मुक्त रहेगा तो यहां का हर नागरिक स्वस्थ्य रहेगा। हम अपने घरए समाज और शहर के गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करेगे कि वे खुद न गंदगी करे और ना ही दूसरों को गंदगी करने दे। स्वच्छ सर्वेक्षण -2021 में हम रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाकर रहेगे। शहर के कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में यह संकल्प पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही बेटियों और महिला खिलाडियों ने बुधवार सुबह लिया है।

पुलिस चयन परीक्षा की तैयारियों में जुटी बेटियों ने आज कालेज ग्राउण्ड से शुरु हुई मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौरान धाविकाओं ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों से गुजरते हुए नागरिकों को स्वच्छता के साथ ही महिला सम्मान का संदेश दिया है। दौड़ का समापन कालेज ग्राउण्ड पर हुआ।

यहां नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 की जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बेटियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंहएमहिला एवं बाल विकास विभाग की वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्रीमती एहतेशाम अंसारीए वनिता सिंधुए श्रीमती बरखाएराष्ट्रीय एथेलिट श्री अमानत खानए श्रवण यादवए गौरव सहित समाजसेवी रत्नापालए जनक नागल आदि उपस्थित रहे।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक

रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली टी.एल. बैठक

रतलाम 20 जनवरी । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के विभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी.एल. बैठक लेकर कार्यो की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक मंे निर्देशित किया कि जिस-जिस विभाग में सी0एम0 हेल्य लाईन की शिकायत लंबित है उनका समय-सीमा में निराकरण करवाकर शिकायत बंद करावें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने टी.एल. में लंबित शिकायतों का निराकरण एक सप्ताह में करवाये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त नगर पालिक निगम रतलाम व परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण श्री निशीकान्त शुक्लाए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए प्र0 कार्यपालन यंत्री श्री जी0के0 जायसवालए प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैनए प्रभारी जलप्रदाय श्री सत्यप्रकाश आचार्यए प्रभारी उद्यान विभाग श्री अरविन्द दशोत्तरए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए निगम सचिव श्री जसवन्त जोशीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए प्रभारी सहायक यंत्री श्री राजेन्द्र मिश्राए समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी श्रीमती आयुषी पालीवालए प्रभारी पेंशन श्री जगदीश पांचालए उपयंत्री श्री मनीष तिवारीए सिटी मैनेजर श्री कपिल मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी आदि उपस्थित थे।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निगम के उद्यान का अवलोकन

रतलाम 20 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः नगर निगम कार्यालय परिसर स्थित उद्यान को जैविक खाद से ओर अधिक हरा-भरा बनाये जाने हेतु उद्यान का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने अवलोकन के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह व उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया को निर्देशित किया कि उद्यान से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाये जाने हेतु उद्यान में एक ओर कम्पोस्ट पिट तैयार की जाये ताकि बारी-बारी से कचरे से खाद बनाई जाकर तैयार खाद को उद्यान में डालकर ओर अधिक हरा-भरा बनाया जा सकें।

सामुदायिक संगठिकाओं को कारण बताओ सूचना पत्र

रतलाम 20 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शाखा की सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्तेए श्रीमती सीमा सुरोलियाए श्रीमती रेखा राठौरए श्रीमती हेमा सिलावटए सुश्री निर्मला राय द्वारा पी.एम. स्वनिधी प्रकरणों के लक्ष्य की पूर्ति नहीं किये जाने व टी.एल. की बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर पी.एम. स्वनिधी के प्रकरण तीन दिवस में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

मालवा नगर लक्ष्मणपुरा में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

रतलाम 20 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 1ए10ए000: व जलकर 6ए000:ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 78ए000: व जलकर 34ए795: की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1ए 2 व 3 के लिये 20 से 21 जनवरी तक मालवा नगर लक्ष्मणपुराए वार्ड क्रमांक 4ए 5 व 13 के लिये 22 से 23 जनवरी तक अम्बे माता मंदिर जवाहर नगरए वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 25 व 27 जनवरी को विनोबा नगर पानी की टंकी के पासए वार्ड क्रमांक 6 व 7 के लिये 28 जनवरी को अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 29 जनवरी को तिरूपति नगरए वार्ड क्रमांक 8 के लिये 30 जनवरी

को कोमल नगरए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 01 फरवरी को मार्निंग स्टार स्कूलए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 2 से 3 फरवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामनेए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 4 फरवरी को प्रियदर्षनी नगरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनीए वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगरए वार्ड क्रमांक 14ए 15 व 48 के लिये 11 से 12 फरवरी तक डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगरए वार्ड क्रमांक 48 के लिये 15 फरवरी को वेदव्यास कालोनीए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 16 फरवरी को कल्याण नगरए वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लिये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 2 मार्च को जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लिये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 12 व 15 मार्च को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी व अतिक्रमण करने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 20 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार हातिम अली प्लास्टिक हाउस भुट्टा बाजार पर 1000ए नवीन भुट्टा बाजारए राकेश बाजना बस स्टैण्डए हुसैन छावनीवाला माणक चौकए ईजी ऑटो मोबाईल महू रोड पर 500.500ए ए.के. फर्नीचर महू रोड पर 300ए राजूए पंकज रंगरेज रोडए गोटा स्टोरए खोजेमा पर 250.250ए कृष्णा मटके वाला मिर्ची गली माणक चौक पर 200 पर रूपये का स्पॉट फाईन पीओएस मशीन के माध्यम से ऑन लाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए

अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

90 दिनों में 126 वॉल्व व 619 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 20 जनवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 20 जनवरी तक 126 वॉल्व व 619 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

' 'रतलाम जलशक्ति अभियान' ' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 20 जनवरी बुधवार को जवाहर नगर बीमा अस्पताल के पासए त्रिवेणी शमशान के पासए करमदी रोडए दीनदयाल नगर वीआईपी कालोनीए पटेल कालोनीए वार्ड 8 पहलवान की चालए होमगार्ड कालोनीए विक्रम नगरए थावरिया बाजार चौराहाए आफिसर्स कालोनी में पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती का कार्य करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 565 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 20 जनवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 20 जनवरी तक 565 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 20 जनवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 565 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 20 जनवरी को काटजू नगरए कस्तुरबा नगरए मुखर्जी नगर व 80 फीट रोड क्षेत्र से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६ वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 20 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटोए राशन कार्डए मतदाता परिचय पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 20 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 20 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी

निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 20 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए

सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/20ण्01ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.